

छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक निजी  
भागीदारी नीति  
(पब्लिक—प्रायवेट पार्टनरशिप पॉलिसी)

वित्त विभाग  
छत्तीसगढ़ शासन  
2013

## 1. प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध और विकास की अपार संभावनाओं से युक्त है। राज्य के गठन से राज्य के आर्थिक विकास को बल मिला है और राज्य वर्तमान में देश के सबसे तीव्रगति से विकास करने वाले राज्यों में एक है। राज्य आर्थिक गतिविधियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे- भूमि, ऊर्जा एवं शक्ति, खनिज संपदा, परिवहन एवं संचार को उपलब्ध कराता है। दीर्घावधि के लिए उच्च कोटी की परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं उच्च गुणवत्ता की सेवाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के इच्छुक है एवं इस उद्देश्य से यह नीति बनायी गई है। यह नीति "छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति (पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप पॉलिसी)" कहलाएगी तथा अपने अधिसूचना की तारीख से प्रभावशील होगी।

## 2. नीति का उद्देश्य

राज्य शासन इस नीति के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सेवाओं के प्रोक्योरमेंट और वित्त पोषण में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु पी.पी.पी. परियोजना के अंतर्गत उपयुक्त संस्थागत और कानूनी ढांचे उपलब्ध कराना चाहता है। पी.पी.पी. नीति के उद्देश्य इस प्रकार है :-

- 2.1 राज्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी के मूलभूत तत्व, उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र की व्याख्या करना ।
- 2.2 राज्य में पी.पी.पी. के क्षेत्र में किये जाने वाले पहल के लिये विस्तृत सिद्धांत तैयार करना ।
- 2.3 राज्य में पी.पी.पी. के क्रियान्वयन के लिए एक उपयुक्त संरचना उपलब्ध कराना ।

यह नीति पी.पी.पी. को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और परिसम्पत्ति निर्माण की कुशल व्यवस्था हेतु एक साधन के रूप में उसके महत्व को रेखांकित करता है, न कि केवल निजी क्षेत्र के संसाधनों को आकर्षित करने के साधन के रूप में।

## 3. पी.पी.पी. के तत्व

### 3.1 परिचय

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी का अर्थ है शासन/सांविधिक निकाय/शासन के स्वामित्व वाली निकाय एवं निजी क्षेत्र के निकाय के मध्य एक व्यवस्था स्थापित करना ।
2. पी.पी.पी. परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिसम्पत्ति का निर्माण और/या लोक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिये निजी क्षेत्र द्वारा निवेश/प्रबंधन करने हेतु प्रावधान करना है ।

छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति (पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप पॉलिसी)

3. पी.पी.पी. परियोजना एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के मध्य जोखिम का स्पष्ट आबंटन होता है। निजी क्षेत्र को निष्पादन से जुड़े भुगतान, मापने योग्य पूर्व निर्धारित निष्पादन के मापदण्डों पर आधारित होते हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई या उसके प्रतिनिधि माप सकते हैं।

### 3.2 पी.पी.पी. के मूलभूत तत्व

- i. यह भागीदारी शासन/सांविधिक निकाय/शासन के स्वामित्व वाले निकाय एवं निजी क्षेत्र के निकायों के मध्य होती है।
- ii. भागीदारी का उद्देश्य सार्वजनिक सम्पत्ति अथवा लोक सेवाओं को उपलब्ध कराना है।
- iii. पी.पी.पी. पहल में निजी क्षेत्र से अपेक्षाएं निम्नलिखित के संदर्भ में होगी :-
  - क. वित्तीय निवेश
  - ख. गैर-वित्तीय निवेश जैसे प्रौद्योगिकी, नवाचार, वैकल्पिक प्रबंधन और कार्यान्वयन कौशल आदि।
- iv. सार्वजनिक और निजी संस्था के मध्य यथोचित जोखिम साझा उनके जोखिम के प्रबंधन करने की क्षमता के अनुरूप होगा।
- v. पी.पी.पी. प्रस्ताव की प्रभावशीलता का आकलन पूर्व निर्धारित मापदण्डों/अपेक्षित परिणामों के आधार पर किया जाएगा।
- vi. निजी संस्था के निष्पादन का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मापने योग्य मापदण्डों के संदर्भ में किया जाएगा।
- vii. निजी संस्था को भुगतान पूर्व निर्धारित मापदण्डों के सापेक्ष उनके निष्पादन के अनुसार होगा।
- viii. निजी क्षेत्र की सेवा प्रदाय करने में निष्पादन को बेंचमार्क किये जाने हेतु पारितोषिक एवं दण्ड की संरचना की व्यवस्था की जाएगी।
- ix. केवल आऊटसोर्सिंग को पी.पी.पी. नहीं माना जाएगा।
- x. भागीदारी एक अवधि विशेष के लिए होगी।

#### 4. पी.पी.पी. की आवश्यकता

छ.ग. राज्य में पी.पी.पी. पहल की आवश्यकता निम्नानुसार है :-

- a) परियोजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समयावधि में कुशलतापूर्वक एवं उच्च क्षमता से संपादित करने हेतु निजी क्षेत्र के वैकल्पिक प्रबंधन एवं क्रियान्वयन कौशल का उपयोग करना।
- b) शासकीय सेवाओं को अधिक मितव्ययी, कुशल और प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराये जाने के लिये निजी क्षेत्र जो कि अनुरक्षण एवं सेवा प्रदाय करने में दक्ष हैं, की सहायता लिया जाना।
- c) वित्तीय नवाचार तथा कम लागत वाली व्यवस्था के विकास के लिए नवाचार एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अवसर का निर्माण करना।
- d) बेहतर प्रबंधकीय पद्धति एवं कुशलता के माध्यम से कम कीमत पर उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाओं में निरंतर सुधार सुनिश्चित करना।
- e) सार्वजनिक सेवाओं को दीर्घकालीन अवधि तक चालू रखने एवं सेवा की गुणवत्ता को पूरे परियोजनाकाल तक बनाये रखने हेतु प्रावधान करना।

#### 5. मार्गदर्शी सिद्धांत

राज्य में पी.पी.पी. के प्रस्ताव निम्नलिखित व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होंगे :-

- a) दीर्घावधि के लिए परिसम्पत्ति निर्माण एवं उच्च गुणवत्ता की सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पी.पी.पी. क्रियान्वयन हेतु एक पारदर्शी संरचना उपलब्ध कराना।
- b) पी.पी.पी. के क्षेत्र में पहल का उद्देश्य हितधारकों के लिए सर्वोत्कृष्ट प्रतिफल एवं उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर सेवा सुनिश्चित किया जाना है।
- c) निजी भागीदारों के चयन के लिए छ.ग. राज्य में मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, कुशल एवं मानकीकृत प्रक्रिया को अपनाया जायेगा।
- d) परियोजना के जीवन-चक्र में पर्याप्त एवं कुशल प्रशासन (Governance) सुनिश्चित करना।
- e) निजी क्षेत्र की उन्नत सेवा प्रदाय करने हेतु नवाचार, वैकल्पिक प्रबंधन और कार्यान्वयन कौशल एवं नवीन प्रौद्योगिकी संबंधी दक्षता का उपयोग।

- f) भविष्य में सार्वजनिक सम्पत्ति के निर्माण और उनके दीर्घकालीन रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए निवेश का कुशल नियोजन।
- g) विभिन्न रूपों में देनदारियों के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों जैसे अनुबंध समाप्ति की स्थिति में ऋणदाताओं के प्रति देयताएं या न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूति के विरुद्ध सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- h) लोकहित की सुरक्षा के अतिरिक्त अन्य साझेदारों के हितों की रक्षा करना साथ ही सेवा प्रदाय करने एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण में अधिकतम विकास सुनिश्चित करना।
- i) राज्य की इस मुख्य पी.पी.पी. नीति के अतिरिक्त जिन विभागों की पी.पी.पी. नीतियां शासन द्वारा लागू की जा चुकी हैं या प्रक्रियाधीन हैं, वे भी मान्य होंगी। छ.ग. शासन द्वारा अपनाई गई इस नीति के अनुरूप विभागीय पी.पी.पी. नीतियों में उचित संशोधन किया जायेगा।

## 6. पी.पी.पी. का कार्यक्षेत्र

राज्य में पी.पी.पी. पहल का मूल उद्देश्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं सामाजिक क्षेत्र में परियोजनाओं का विस्तार करना है। राज्य में प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित क्षेत्रों में पी.पी.पी. प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा :-

1. सड़क, पुल और बाईपास
2. नवीन टारुनशिप एवं आवासीय परियोजनाएं
3. जल आपूर्ति, उपचार और वितरण
4. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
5. सीवरेज एंड ड्रेनेज प्रणाली
6. शहरी बुनियादी ढांचे, मनोरंजन सुविधा सहित
7. शहरी परिवहन प्रणाली / सार्वजनिक परिवहन में सुधार- बस शरण (bus shelters) एवं बस टर्मिनल निर्माण सहित
8. पर्यटन और संबंधित बुनियादी सुविधा
9. स्वास्थ्य सुविधायें
10. शिक्षा (उच्च शिक्षा सहित)
11. औद्योगिक पार्क, थीम पार्क जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, ज्ञान प्रौद्योगिकी, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं टारुनशीप
12. सिंचाई प्रणाली एवं सहायक गतिविधियां
13. विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण प्रणाली
14. व्यापार मेला, सम्मेलन, प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक केन्द्र
15. कृषि उत्पाद का प्रक्रम एवं विपणन (processing and marketing)
16. खेल एवं मनोरंजन संबंधी आधारभूत संरचना

छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति (पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप पॉलिसी)

17. रेल गलियारे, रेल लाईन एवं नगरीय/अधोनगरीय रेल परिवहन प्रणाली
18. हवाईअड्डा, हवाई पट्टियां और हैलीपैड
19. सरकार द्वारा शामिल की गई कोई अन्य क्षेत्र/सुविधा।

यह सूची सम्पूर्ण नहीं है, छ.ग. शासन आवश्यकतानुसार संशोधन करने को स्वतंत्र है।

## 7. पी.पी.पी. की प्रक्रिया

छ.ग. शासन द्वारा पी.पी.पी. के समस्त पहल निजी क्षेत्र के उन सभी संस्थाओं के लिए खुले होंगे जो पी.पी.पी. अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं में भाग लेने के लिए अन्य प्रावधानों के संदर्भ में योग्य एवं अर्हता प्राप्त होंगे।

पी.पी.पी. के उद्देश्य एवं परियोजना के अपेक्षित परिणामों की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु पी.पी.पी. की प्रक्रिया को निम्नलिखित मुख्य चरणों में विभाजित किया जा सकता है :-

### 7.1 परियोजना की पहचान

परियोजना की पहचान के स्तर पर निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए :-

#### 7.1.1 प्रथम चरण – परियोजना की पहचान

सार्वजनिक निजी सहभागिता को एक मात्र संभव विकल्प नहीं समझा जाना चाहिए और परियोजना के क्रियान्वयन के लिये अपनायी जाने वाली पद्धति निश्चित करने के पूर्व इसकी तुलना पारम्परिक पद्धतियों से भी की जानी चाहिए। पी.पी.पी. पद्धति के अंतर्गत परियोजनाओं को उसके संदर्भ, जनहित में लाभ तथा अन्य पद्धतियों में प्राप्त होने वाले लाभ के सापेक्ष सावधानीपूर्वक आंकलित किया जाना चाहिए। पूर्व व्यवहार्यता विश्लेषण (Pre-feasibility analysis) परियोजना की व्यवहार्यता के साथ ही जोखिम के पहचान तथा लागत और राजस्व के बीच संबंध स्थापित कर व्यापक आकलन में सहायक होगी। इस संदर्भ में Value for Money (VFM) विश्लेषण इस प्रकार के आकलन के लिए एक प्रभावी साधन होगा।

7.1.2 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परियोजना राज्य एवं क्षेत्र (Sector) में लागू कानूनी ढांचे के अनुरूप है। यदि शासन उपयुक्त समझती है तो उपयुक्तता के आधार समर्थकारी कदम के रूप में कानून में आवश्यक संशोधन कर सकती है।

7.1.3 परियोजना के एक शेल्फ के निर्माण के लिए उनकी प्राथमिकता का निर्धारण मांग एवं पूर्ति के अंतर, अंतर-संबंध एवं अन्य संबंधित मापदण्ड के आधार पर किया जाएगा।

#### 7.2 द्वितीय चरण –परियोजना का विकास

परियोजना की संरचना एवं निर्माण निम्नलिखित मुख्य विश्लेषणात्मक तथ्यों के आधार पर होंगे :-

छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति (पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप पॉलिसी)

7.2.1 आर्थिक विश्लेषण के द्वारा आर्थिक परिप्रेक्ष्य में परियोजना की आवश्यकता सुनिश्चित की जा सकेगी।

7.2.2 वित्तीय विश्लेषण के द्वारा यह निर्धारित किया जा सकेगा कि परियोजना पूंजी उपलब्ध कराने वालों के लिए वित्तीय लाभकारी है या नहीं।

7.2.3 वैल्यू फॉर मॅनी विश्लेषण द्वारा यह निर्धारित किया जा सकेगा कि संबंधित परियोजना के लिए पी.पी.पी. माध्यम पारंपरिक प्रोक्योरमेंट माध्यमों से बेहतर है या नहीं।

7.2.4 सामर्थ्य (Affordability) विश्लेषण द्वारा यह निर्धारित किया जा सकेगा कि संबंधित पी.पी.पी. परियोजना कार्यान्वयन करने वाली संस्था एवं संभावित प्रयोगकर्ता दोनों के लिए लाभकारी है या नहीं।

7.2.5 साख-योग्यता (bankability) आकलन द्वारा परियोजना की साख क्षमता का परीक्षण उसकी ऋण देयता सेवा क्षमता के आधार पर किया जा सके।

7.2.6 जोखिम का उचित आबंटन – परियोजना के क्रियान्वयन में शामिल जोखिमों के आकलन के आधार पर सभी स्टेकहोल्डर्स के मध्य जोखिमों का आबंटन उनकी जोखिम प्रबंधन की क्षमता के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार से किया गया जोखिमों का आबंटन अनुबंध दस्तावेज में स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा। छ.ग. शासन के द्वारा राज्य में पी.पी.पी. पहल हेतु नियम एवं दिशानिर्देश जारी किया जायेगा।

7.3 तृतीय चरण – परियोजना प्रोक्योरमेंट (Procurement)

7.3.1 छ.ग. शासन परियोजना के प्रोक्योरमेंट के विभिन्न स्तरों से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी जो कि पी.पी.पी. नीति के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार होगी। प्रोक्योरमेंट और परियोजना को अर्वाड किये जाने की प्रक्रिया एक निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी और गैर-पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया होगी। ई-प्रोक्योरमेंट की पद्धति को प्राथमिकता दी जायेगी जिससे प्रतिभागियों को आवश्यक जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके तथा पारदर्शिता को बढ़ावा मिले। पी.पी.पी. के अंतर्गत जारी किए जाने वाले दिशानिर्देश छ.ग. राज्य में लागू कानूनी ढांचे के अनुरूप होंगे। यदि आवश्यकता हो तो कानून में छ.ग. शासन द्वारा आवश्यक बदलाव किये जायेंगे।

7.3.2 भागीदारों की भूमिका एवं दायित्व, निष्पादन के मानक और निगरानी की व्यवस्था, रिपोर्टिंग की आवश्यकता, जुर्माने की शर्तें, force-majeure की शर्तें, विवाद निराकरण प्रक्रिया, समाप्ति (termination) की व्यवस्था एवं विभिन्न गतिविधियों की समय-सीमा सभी संभावित बोलीदाताओं (बिडर्स) को बिड दस्तावेज के माध्यम से सूचित की जायेंगी।

7.4 चतुर्थ चरण – परियोजना की निगरानी

छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति (पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप पॉलिसी)

7.4.1 पी.पी.पी. परियोजनाओं की निगरानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की सहायता से की जायेगी। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट परियोजना के क्रियान्वयन की देख-रेख, शासकीय विभागों/संस्थाओं के मध्य समन्वय और विवादों के समाधान में सहायता उपलब्ध करायेगी। विवादों का समाधान अनुबंध के शर्तों और लागू विधायी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा।

7.4.2 पी.पी.पी. परियोजना के जीवन-चक्र में उपयुक्त एम.आई.एस. का प्रावधान परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु किया जायेगा। एम.आई.एस. का उद्देश्य क्रियान्वयन करने वाली संस्था, नोडल विभाग और अन्य स्टेकहोल्डरों को अपनी कार्य योजनाओं के मिलान (alignment of strategies) कर भागीदारी की प्रभावशीलता को बढ़ाने में सहायता करना होगा।

7.4.3 क्रियान्वयन करने वाली संस्था परियोजनाओं को समय पर एवं बाधरहित तरीके से पूर्ण करने का प्रयास करेगी।

7.4.4 पी.पी.पी. में परियोजना को प्रदाय (अवार्ड) किये जाने उपरांत बातचीत (negotiations) एक अपवाद के रूप में होंगे, जिसके लिए न्यायसंगत कारण तथा पी.पी.पी.ए.सी. का अनुमोदन होना आवश्यक होगा। यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि सभी बातचीत एक पारदर्शी तरीके से हो। बातचीत तथा अनुबंध में संशोधन का ऑडिट किया जाना होगा।

## 8. संस्थागत संरचना

### 8.1 नोडल एजेंसी

संबंधित विभाग अपनी पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। नोडल एजेंसी के अंतर्गत आवश्यकतानुसार एक पी.पी.पी. प्रकोष्ठ गठित किया जा सकता है, जिसके निम्नलिखित मुख्य कार्य होंगे :-

- i. परियोजनाओं की पहचान, अवधारणा एवं एक शेल्फ का निर्माण तथा पी.पी.पी. माध्यम से कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त परियोजनाओं के अनुमोदन की अनुशंसा करना।
- ii. सलाहकार के माध्यम से पूर्व व्यवहार्यता (Pre-feasibility) रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करना।
- iii. परियोजनाओं के विकास हेतु सलाहकार का चयन/नियुक्ति करना।
- iv. प्रभावी तथा पारदर्शी निविदा प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए कठोर अनुपालन सुनिश्चित करना।
- v. पी.पी.पी. के अंतर्गत ऐसी समन्वित एवं कुशल व्यवस्था का निर्माण करना जिससे व्यवहार्य अंतरण (viable transactions) प्रोक्योरमेंट के लिए प्रस्तुत किए जाएं और ऐसे प्रत्येक अंतरण की कीमत किफायती हो।

छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति (पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप पॉलिसी)

- vi. आवश्यकतानुसार अन्य विभागों से विमर्श कर परियोजना के मूल्यांकन एवं आंकलन हेतु दिशा निर्देश बनाना।
- vii. क्षमता निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना तथा प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता की व्यवस्था करना।
- viii. पी.पी.पी. की प्रक्रिया एवं उससे लाभ संबंधित जानकारी उपभोक्ताओं, निवेशकों एवं अन्य शासकीय निकायों तक पहुंचाना।
- ix. पी.पी.पी. के अंतर्गत कार्यान्वयन की जा रही परियोजनाओं का निरीक्षण, समीक्षा एवं निगरानी करना।
- X. सेक्टर पी.पी.पी. नीति के अंतर्गत अधिसूचित नोडल एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना।
- Xi. उपरोक्त गतिविधियों पर पी.पी.पी. मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

## 8.2 पी.पी.पी. मूल्यांकन समिति

### 8.2.1 पी.पी.पी. मूल्यांकन समिति की संरचना

शासन द्वारा पी.पी.पी. मूल्यांकन समिति (PPPAC) का गठन किया जाएगा जिसकी संरचना निम्नलिखित होगी :-

- |    |   |   |                |
|----|---|---|----------------|
| a) | मुख्य सचिव  | — | अध्यक्ष        |
| b) | अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त एवं योजना विभाग            | — | सदस्य          |
| c) | प्रमुख सचिव/सचिव, विधि विभाग                          | — | सदस्य          |
| d) | सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग                          | — | सदस्य          |
| e) | संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/<br>प्रमुख सचिव /सचिव | — | सदस्य सचिव     |
| f) | परियोजना से संबंधित विशेषज्ञ                          | — | विशेष आमंत्रित |

### 8.2.2 पी.पी.पी.ए.सी. के कार्य-

पी.पी.पी.ए.सी. का कार्य इस प्रकार होगा :-

- a) संबंधित विभाग द्वारा अनुशंसित पी.पी.पी. परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुमोदन करना।
- b) नोडल एजेंसी (संबंधित विभाग) द्वारा प्रस्तुत विभागीय प्रतिवेदन की समीक्षा करना।
- c) वित्तीय सहायता तय करना और परियोजनाओं के लिए आकस्मिक देयताओं (contingent liabilities) के आंबटन को मंजूरी।
- d) अप्रार्थित (suo-motu) या स्वीस चैलेंज के अंतर्गत प्रस्तावों के परिमाण एवं क्षेत्र का अनुमोदन तथा यदि आवश्यक हो, गैर वित्तीय प्रकृति के संशोधन की अनुशंसा करना।
- e) परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को हल करना।
- f) परियोजना की मंजूरी के लिए समय सीमा निर्धारित करना।
- g) समय-समय पर स्वीकृति (clearances) की स्थिति की समीक्षा करना एवं यह सुनिश्चित करना कि स्वीकृति दर्शाये गये समय-सीमा के अनुरूप हो रही है। यदि स्वीकृति समय-सीमा के अंदर नहीं हो रही है या मना कर दी गई है तो ऐसी स्थिति में स्वीकृति की व्यवस्था करना।
- h) प्रयोक्ता शुल्क आरोपित करने संबंधी मामलों में निर्णय लेना जिसके अंतर्गत प्रयोक्ता शुल्क के निर्धारण, पुनरीक्षण, संग्रहण एवं विनियमन करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण तथा इससे संबंधित विवादों का निराकरण करना।
- i) नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना।
- j) परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शासन, सरकारी संस्था और स्थानीय प्राधिकरण के मध्य समन्वय करना।
- k) परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन पर पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना।
- l) समय-समय पर फीस, लेवी, टोल और अन्य शुल्क एवं उनके संग्रहण की प्रक्रिया का निर्धारण करना।
- m) दुरुपयोग (abuse) और प्रदूषण संबंधी शुल्क विकासकर्ता (developer) पर आरोपित एवं संग्रहित करना।

पी.पी.पी.ए.सी. की बैठक हर त्रैमास में कम से कम एक बार या आवश्यकतानुसार उपरोक्त विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित की जाएगी। राज्य शासन के स्तर की प्रत्येक पी.पी.पी. परियोजना, यहां तक की जहां पूंजी अनुदान की आवश्यकता नहीं है, उसकी स्वीकृति भी पी.पी.पी.ए.सी. से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8.2.3 पी.पी.पी.ए.सी. के सलाह एवं अनुशंसा के आधार पर शासकीय इकाई या स्थानीय प्राधिकरण प्रस्तावित परियोजना और संबंधित छुट अनुबंध (concession agreement) छ.ग. शासन के प्रशासकीय ढांचे के अनुसार संबंधित प्रशासकीय विभाग के समक्ष अनुसांगिक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेंगी।

## 8.2.4 शासन द्वारा अनुमोदन

छ.ग. शासन, शासकीय इकाई या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत परियोजना एवं संबंधित कन्सेशन अनुबंध पर विचार कर प्रस्तावित परियोजना को संशोधन या बिना संशोधन के अनुमोदित कर सकती है अथवा प्रस्तावित परियोजना एवं कन्सेशन अनुबंध शासकीय इकाई या स्थानीय प्राधिकरण को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकती है अथवा प्रस्ताव को निर्धारित समय-सीमा में अस्वीकृत कर सकती है। शासकीय इकाई या स्थानीय प्राधिकरण शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्तावित परियोजना एवं कन्सेशन अनुबंध पर समुचित कार्यवाही करेगी तथा यदि प्रस्ताव शासन द्वारा शासकीय इकाई या स्थानीय प्राधिकरण के पुनर्विचार के लिये शासन द्वारा वापस किया गया है तो प्रस्ताव एवं कन्सेशन अनुबंध का पुनरीक्षण कर शासन को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

## 8.2.5 अंकेक्षण

छ.ग. राज्य में स्थापित पी.पी.पी. परियोजना का अंकेक्षण परियोजना पर लागू होने वाले अंकेक्षण ढांचे के अनुसार कराना अनिवार्य होगा। छ.ग. शासन किसी भी पी.पी.पी. परियोजना का अंकेक्षण वेल्यु फार मनी के निर्धारण के लिए कराने में सक्षम होगी।

## 9. समर्थकारी व्यवस्था

- 9.1 शासकीय निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु शासन विधायी एवं नीतिगत सहयोग उपलब्ध कराएगी।
- 9.2 शासन वित्तीय सहायता प्रणाली की दिशा में पी.पी.पी. परियोजना के लिए अधोसंरचना विकास परियोजना कोष, व्यवहार्यता अंतर कोष (Viability Gap Funding), एन्यूटी/उपलब्धता आधारित भुगतान, दीर्घ प्रवृत्ति के ऋण, पुनर्वित्तपोषण सुविधा, अधोसंरचना ऋण कोष आदि संसाधनों की व्यवस्था कर सकती है।
- 9.3 प्रायोजक शासकीय संस्था पी.पी.पी. परियोजना के लिए आवश्यकतानुसार भारमुक्त भूमि (unencumbered land) तथा प्राधिकारियों से आवश्यक स्वीकृति हेतु व्यवस्था करेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्तमान कानून के अंतर्गत भू-स्वामियों के हित संरक्षित है।
- 9.4 पी.पी.पी. परियोजना की अवधारणा एवं कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए क्षमता निर्माण हेतु समुचित व्यवस्था की जाएगी।

हस्ता/—  
(डी.एस. मिश्र)

छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति (पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप पॉलिसी)  
अपर मुख्य सचिव,  
वित्त विभाग